प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021–रतनपुरा
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 522 सन 2021
अनवान :–

1. गुरभेज सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसखि निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 18/29 की कुल 1.0120हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.02. 2016 को एक वसीयत वादी के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह का देहान्त हो चुका है वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह का देहान्त होने के बाद सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह की वसीयत के अनुसार वादी वाद भूमि जो सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम से दर्ज है का खातेदार काश्तकार हो गया है जिसे वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्या सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐतराज नही करने वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 18/29 की कुल 1.0120हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह ने अपने

जीवनकाल में दिनांक 26.02.2016 को एक वसीयत वादी के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह का देहान्त हो चुका है वादी के पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह का देहान्त होने के बाद सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह की वसीयत के अनुसार वादी वाद भूमि जो सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम से दर्ज है का खातेदार काश्तकार हो गया है जिसे वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है जिसे सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के अन्य वारिसान उनकी पुत्रीयों ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के कथनों को सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के अन्य वारिसान ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पिता सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के अपने जीवनकाल में अपने पुत्री एवं हमारे भाई के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह को देहान्त हो चुका है सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किय जा चुका है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

वादी के वाद सुखदेवसिह के वारिसान के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को सुखदेवसिह के वारिसान के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 18/29 की कुल 1.0120हैक में से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट..–रतनपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरभेज सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसखि निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2 परमजीतकौर पुत्री सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 चरनजीत कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 522 सन 2021 निर्णय दिनांक– 24.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 18 / 29 की कुल 1.0120हैक में से 1 / 8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखदेवसिह पुत्र जरनेलसिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...रतनपुरा